न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 162/2025 अपील (GCMS 2025/187)

पंजीयन दिनांक– 28/07/2025

अपीलांट	रेस्पोडेंट्स
मरियम पत्नी मगन परमार भील, आवेदक प्रस्तावित गांव सीमावर्ती गांव चक भण्डारिया, जिला डूंगरपुर	1. राजस्थान राज्य जरिये उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर 2. तहसीलदार, डूंगरपुर

प्रकरण संख्या – 163/2025 अपील (GCMS 2025/188)

अपीलांट्स	रेस्पोडेंट्स
1. अशोक कुमार पिता थाना भील, 2. श्रीमती गंगा पत्नी अशोक कुमार भील, आवेदक प्रस्तावित गांव सीमावर्ती गांव चक भण्डारिया, जिला डूंगरपुर	1. राजस्थान राज्य जरिये उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर 2. तहसीलदार, डूंगरपुर

प्रकरण संख्या – 164/2025 अपील (GCMS 2025/187)

अपीलांट्स	रेस्पोडेंट्स
1. कैलाश पिता प्रतापलाल सोमपुरा, 2. कन्हैयालाल पिता प्रतापलाल सोमपुरा, 3. श्रीमती प्रतिभा पत्नी कैलाश सोमपुरा, 4. श्रीमती माया देवी पत्नी कन्हैयालाल सोमपुरा, आवेदक प्रस्तावित गांव सीमावर्ती गांव चक भण्डारिया, जिला डूंगरपुर	1. राजस्थान राज्य जरिये उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर 2. तहसीलदार, डूंगरपुर

प्रकरण संख्या – 165/2025 अपील (GCMS 2025/190)

अपीलांट्स	रेस्पोडेंट्स
1. रणछोड पिता पूंजा भील 2. श्रीमती केशर पत्नी रणछोड भील, आवेदक प्रस्तावित गांव सीमावर्ती गांव चक भण्डारिया, जिला डूंगरपुर	1. राजस्थान राज्य जरिये उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर तहसीलदार, डूंगरपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

प्रकरण संख्या – 166/2025 अपील (GCMS 2025/191)

अपीलांट	रेस्पोडेंट्स
मन्जु उर्फ प्रेमलता पत्नी रमेश परमार भील, आवेदक प्रस्तावित गांव सीमावर्ती गांव चक भण्डारिया, जिला डूंगरपुर	1. राजस्थान राज्य जरिये उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर 2. तहसीलदार, डूंगरपुर

उपस्थितिः–

1. श्री गौरव चौबीसा – वकील अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल – राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 19/2023, प्रकरण संख्या 32/2023, प्रकरण संख्या 58/2023, प्रकरण संख्या 26/2023, प्रकरण संख्या 20/2023 निर्णय दिनांक 13.03.2023

निर्णय

दिनांक 31/12/2025

अपीलांट द्वारा यह अपीलें राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर, डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 19/2023, प्रकरण संख्या 32/2023, प्रकरण संख्या 58/2023, प्रकरण संख्या 26/2023, प्रकरण संख्या 20/2023 निर्णय दिनांक 13.03.2023 के विरूद्ध पेश की गयी।

उक्त अपीलों का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसील, डूंगरपुर में दिनांक 13.07.2018 को कैम्प चक भण्डारिया में कृषि भूमि आवंटन हेतु भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में अपीलार्थीगण के भूमि आंवटन के प्रकरणों में उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर ने आपत्ति दर्ज करते हुए प्रकरण अंतिम निर्णय हेतु जिला कलक्टर, डूंगरपुर को प्रेषित किये। जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने प्रकरणों का परीक्षण करने उपरान्त दिनांक 13.03.2023 को प्रकरण यह कह कर निस्तारित कर दिये कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रकरण को निरस्त किए जाने का परामर्श दिया है,

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

जिससे उपखण्ड अधिकारी की समान आपत्ति औचित्यहीन है, चूँकि समग्र रूप से उक्त आवंटन उपखण्ड अधिकारी की आपत्ति व आवंटन सलाहकार समिति की परामर्श के दृष्टिगत निरस्त है। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने अलग–अलग अपीलें मय धारा 05 अधिनियम के प्रार्थना पत्र सहित पेश की।

अपीलें दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त अपीलें समान प्रकृति की होने के कारण एक ही निर्णय दिया जा रहा है। निर्णय की प्रति सभी प्रकरणों में शामिल फाईल की जावे। दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की बहस सुनी।

विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने सर्वप्रथम मयाद के बिन्दु पर बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थी आदिवासी, अशिक्षित एवं गरीब काश्तकार है। इन्हें कानून की कोई जानकारी नहीं है। भूमि आवंटन नहीं होने तथा जिला कलक्टर के आदेश की जानकारी इनको समय पर नहीं हुई। जिला कलक्टर, डूंगरपुर के यहां तो पक्षकार भी नहीं थे। नकलें जब निकलवाई तब जानकारी हुई। इस कारण अपील पेश करने में देरी हुई जो संतोषजनक कारण है, इसलिए अपीलें पेश करने में हुई देरी को माफ कर अपीलें मयाद में शुमार करने हेतु निवेदन किया।

विद्वान वकील ने गुणावगुण पर बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थी कई सालों से भूमि पर काश्त कर रहे है। भूमि को काफी खर्चा कर कृषि योग्य बनाया। इस पर कुंए खुदवाये, पेड़ पौधे लगाये तथा मकान बनाकर रह रहे है। समान स्थिति वाले व्यक्तियों को भूमि आवंटन कर दी और अपीलांट के साथ भेदभाव किया गया। आवंटन सलाहकार समिति ने बिना किसी उचित कारणों के आवेदन पत्र खारिज कर दिये तथा उपखण्ड अधिकारी ने भी अनावश्यक आपत्ति दर्ज कर प्रकरण जिला कलक्टर को प्रेषित कर दिये। जिला कलक्टर ने भी प्रकरणों का भलीभांति परीक्षण नहीं किया और आदेश पारित

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

कर दिया। अंत में अपील स्वीकार कर अपीलार्थीगण को भूमि आवंटन करने का आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलें मयाद बाहर पेश हुई है। देरी से पेश करने का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया है जिससे मयाद के बिन्दु पर ही अपीलें खारिज किये जाने योग्य है। जिला कलक्टर, डूंगरपुर का आदेश नियमानुसार है जिससे अपीलें निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर द्वारा पत्रांक 534 दिनांक 28.02.2023 द्वारा ग्राम चक भण्डारिया के अपीलाधीन पांचों प्रकरणों में भू–आवंटन सलाहकार द्वारा अनुशंषित आवंटन में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर की असहमति के कथन के साथ प्रकरण जिला कलक्टर, डूंगरपुर को निर्णयार्थ प्रेषित किया गया।

जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर निष्कर्षात्मक निर्णय प्रदान करते हुए उपखण्ड अधिकारी के आवेदक के सद्भावी कृषक नहीं होने संबंधी आक्षेप को आवंटन सलाहकार समिति के निरस्तगी संबंधी परामर्श के परिप्रेक्ष्य में औचित्यहीन पाया गया। वस्तुतः आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवेदन को निरस्त किए जाने की अनुशंषा तथा उपखण्ड अधिकारी की आवेदक के सद्भावी कृषक नहीं होने की आपत्ति के दृष्टिगत समग्र रूप से आवेदन निरस्त पाए जाने पर जिला कलक्टर द्वारा पत्रित किया गया। आवेदकों द्वारा भी 13.07.2018 की आवंटन सलाहकार समिति के ओदश के विरूद्ध कोई आपत्ति अथवा अपील जिला कलक्टर, डूंगरपुर के समक्ष तत्समय दर्ज नहीं करवाई गई।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

अतः जिला कलक्टर, डूंगरपुर के उपरोक्त विवेचनात्मक आदेश में कोई विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाई जाने से समान विषयक पाँचों अपीलें सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर